INTERVIEW PREPARATION

CURRENT AFFAIRS

By Shridhant Joshi Sir

MD, Kautilya Academy

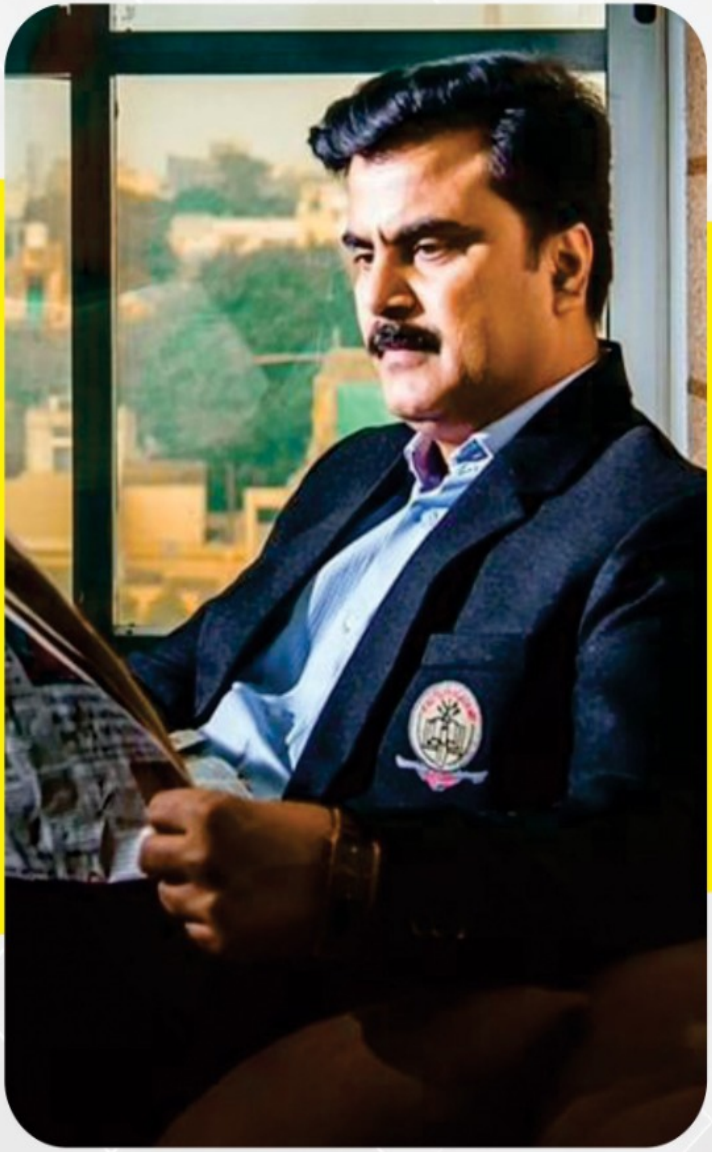

कौटिल्य एकेडमी

IAS, IPS, IRS, MPPSC & OTHER STATES PCS

www.kautilyaacademy.com, www.kautilyaacademy.in

Mob : 9425068121, 9893929541

बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में विस्तार से पंजाब पुलिस की शक्ति नहीं छिनी : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पंजाब सरकार ने बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने को दी है चुनौती
- सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार व केंद्र से कहा, साथ बैठकर विचार के विवादित बिंदु तैयार करें
- प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, राज्य पुलिस की अपराधों की जांच करने की शक्ति नहीं ली गई है

सुप्रीम कोर्ट ने सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तलाशी, जब्ती और पकड़ने के अधिकार क्षेत्र का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने का विरोध कर रही पंजाब सरकार से मौखिक टिप्पणियों में शुक्रवार को कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने में पंजाब पुलिस के अधिकार और शक्तियों को नहीं छीना गया है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस से कुछ भी नहीं छिना है, उसकी जांच की शक्ति नहीं ली गई है। हालांकि, पंजाब सरकार का केंद्र सरकार के विरुद्ध मूलवाद दाखिल होने के कारण कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की बात कहते हुए दोनों पक्षों से साथ बैठकर कोर्ट के विचार के लिए बिंदु तैयार करने को कहा। मामले में जनवरी में फिर सुनवाई होगी।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ये टिप्पणियां तब कीं जब पंजाब सरकार के वकील ने पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किमी किए जाने का विरोध किया। पंजाब सरकार ने कहा, केंद्र का ऐसा करना संघवाद की व्यवस्था के विरुद्ध है। वकील ने कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और पंजाब छोटा सा प्रदेश है। 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में देने का मतलब है कि पंजाब का ज्यादातर हिस्सा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। केंद्र सरकार की ओर सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार से राज्य पुलिस की किसी शक्ति को नहीं छीना गया है। वहां सुपरमेसी के साथ दोनों को समवर्ती अधिकार प्राप्त हैं। राज्य की पुलिस संज्ञेय अपराधों की जांच कर सकती है। उल्लेखनीय है कि संज्ञेय अपराध ऐसे गंभीर मामले होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी संदिग्ध को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। मेहता ने यह भी कहा कि देश के सभी सीमावर्ती राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित कर 50 किलोमीटर किया गया है। गुजरात और राजस्थान में भी ऐसा किया गया है, यहां तक कि पूर्वी राज्यों में भी ऐसा है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ का क्षेत्राधिकार कुछ पासपोर्ट अपराधों पर है और स्थानीय पुलिस को भी यह अधिकार है। पंजाब सरकार का कहना था कि गुजरात और राजस्थान बड़े राज्य हैं वहां स्थिति दूसरी है, लेकिन पंजाब छोटा राज्य है यहां का ज्यादातर हिस्सा बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में आ गया है। दोनों को सुनने और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार की केंद्र सरकार की अधिसूचना देखते हुए प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि बीएसएफ के क्षेत्राधिकार विस्तार से पंजाब पुलिस की कोई शक्ति नहीं छिनी है। राज्य पुलिस की अपराधों की जांच करने की शक्ति नहीं ली गई है। राज्य पुलिस जांच कर सकती है। लेकिन पंजाब के वकील का कहना था कि कोर्ट मामले पर विचार करे क्योंकि इसका संघीय व्यवस्था पर असर पड़ता है। पीठ ने कहा कि चूंकि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के विरुद्ध मूल वाद दाखिल किया है इसलिए कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। पीठ को बताया गया कि मामले में उत्तर प्रतिउत्तर दाखिल करने और प्लीडिंग का काम पूरा हो चुका है।

'बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण'

पंजाब सरकार ने कहा है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 50 किमी कर दिया था। इसमें पंजाब, बंगाल व असम में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार 15 किमी से बढ़कर 50 किमी हो गया था और गुजरात में बीएसएफ का क्षेत्राधिकार 80 किमी था, जिसे घटाकर 50 किमी किया गया था और राजस्थान में 50 किमी को वैसा ही रखा गया था। वास्तव में सभी जगह बीएसएफ का क्षेत्राधिकार बढ़ाकर 50 किमी कर दिया गया है। इसे पंजाब ने चुनौती दी है। इसके मुकदमे के अलावा पंजाब ने केंद्र सरकार के विरुद्ध मार्केट फीस और रूरल डेवलपमेंट फीस की प्रतिपूर्ति से इन्कार को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनवाई के बिंदु तैयार करने को कहा है।

हिंद प्रशांत क्षेत्र में अनियंत्रित हो सकते हैं हालात : नौसेना प्रमुख

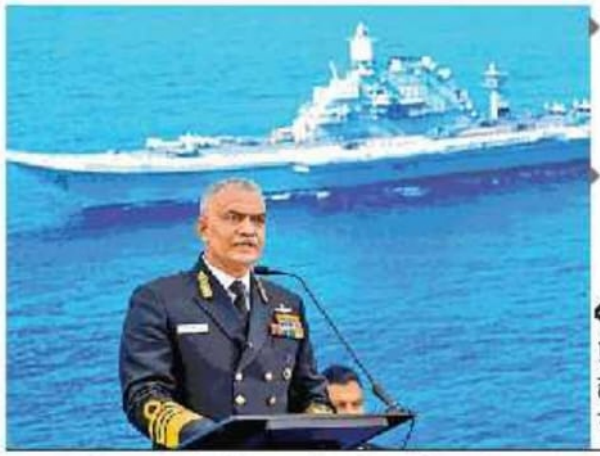

- हरि कुमार बोले, समान विचारधारा वाले देशों को मिलकर काम करना चाहिए
- हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों पर नजर रख रहा है भारत

« नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रेसवार्ता करते नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार। प्रतिवर्ष चार दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य आक्रामकता पर वैश्विक चिंताओं के बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने आशंका जताई कि इस क्षेत्र में हालात बिगड़ सकते हैं। क्षेत्र में विवाद अनियंत्रित होकर संघर्ष में बदल सकते हैं। नौसेना दिवस से पहले शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह भी कहा कि भारत हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहा है।

नौसेना प्रमुख ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले देशों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए संवाद आवश्यक है। स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत की दिशा में एकजुट होना होगा। कोई भी ताकत अकेले क्षेत्र में चुनौतियों से नहीं निपट सकती। हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ के संदर्भ में उन्होंने कहा, हम निगरानी तंत्र मजबूत कर रहे हैं। जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों, यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन) तैनात करते हैं। उन्होंने कहा कि नौसेना सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता भी है।

नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं 1000 महिला अग्निवीर

अग्निपथ योजना की सराहना करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि अग्निपथ का कार्यान्वयन बेहद जरूरी और परिवर्तनकारी रहा है। नौसेना में 1000 महिला अग्निवीर शामिल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नौसेना के पोत पर पहली महिला कमांडिंग आफिसर को नियुक्त किया गया है जो गर्व की बात है। हालांकि उन्होंने इस महिला अधिकारी के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। नौसेना दिवस चार दिसंबर को आयोजित किया जाता है।

मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों को वापस लाने के प्रयास कर रही सरकार पेज>>3

कौशिक एकेडमी

विधानसभा से दोबारा पास विधेयकों को राष्ट्रपति को भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सहमति रोकने के बाद दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते

तमिलनाडु में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी नहीं दिए जाने और लटकाए रखने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा से दोबारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे जाने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सहमति रोकने के बाद विधानसभा से दोबारा पारित होने पर विधेयकों को राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते। संविधान के अनुच्छेद-200 में राज्यपाल के पास विधेयक के बारे में तीन ही विकल्प हैं या तो वह सहमति दे सकते हैं, या सहमति रोक सकते हैं या फिर विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं।

कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद की शक्ति और नियुक्ति पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित पद होता हैं इसलिए उन्हें ज्यादा व्यापक शक्ति है, वहीं राज्यपाल पद पर केंद्र द्वारा नामित व्यक्ति की नियुक्ति होती है। राज्यपाल के पास अनुच्छेद-200 के तहत सिर्फ तीन ही विकल्प हैं। कोर्ट ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री के साथ बैठकर गतिरोध का समाधान निकालने का सुझाव दिया है। कोर्ट मामले में 11 दिसंबर को फिर सुनवाई करेगा। ये टिप्पणियां और निर्देश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ

तमिलनाडु के राज्यपाल को सुझाव, सीएम के साथ बैठकर निकालें गतिरोध का समाधान

ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि विधानसभा ने जो 10 विधेयक दोबारा पारित करके राज्यपाल को भेजे थे, उन्हें राज्यपाल ने गुरुवार यानी 30 नवंबर को राष्ट्रपति को भेज दिया है। सिंघवी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-200 के मुताबिक राज्यपाल के पास तीन ही विकल्प हैं और उन्हें उनमें से एक का पालन करना होगा। इसलिए अगर वह एक बार सहमति रोक देते हैं तो बाद में यह नहीं कह सकते कि अब इसे राष्ट्रपति को भेज रहे हैं। पीठ ने यह भी कहा कि यदि वह विधेयक पर सहमति रोक लेते हैं तो वह विधेयक को वहीं नहीं रोक सकते। एक बार वह सहमति रोक सकते हैं, लेकिन उनके पास चौथा विकल्प नहीं है। अटार्नी जनरल ने कहा कि राज्यपाल ने सिर्फ सहमति रोकी थी। उन्होंने विधानसभा को विचार के लिए नहीं कहा था। इस पर कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से सरकार को भेजे प्रपत्र को देखना चाहा ताकि वास्तविक स्थिति पता चले। अटार्नी जनरल ने कहा कि विधानसभा के दोबारा विधेयक पारित करने की बात तो तब उठती है, जब राज्यपाल विधेयक को किसी संदेश के साथ वापस करते। लेकिन यहां तो उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि सहमति रोके रखी है। सीजेआइ ने कहा कि आपके मुताबिक राज्यपाल के पास सहमति रोकने की स्वतंत्र शक्ति है। पीठ ने कहा कि वह उस पर विचार करेगी। सिंघवी ने कहा कि संविधान में सहमति रोके रखने का कोई प्रविधान नहीं है। जब राज्यपाल ने विधेयकों को रोकने का संदेश भेजा तो विधानसभा ने विधेयकों को दोबारा सदन से पारित करके भेजा था। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सुनवाई का इंतजार किए बगैर राज्यपाल मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें व गतिरोध दूर करें। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें राज्यपाल व मुख्यमंत्री को सुलझाने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट इसकी सराहना करेगा। कोर्ट इस तथ्य से अवगत है कि यह उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से जुड़ा मामला है।

मोदी ने हर्जोग, सुनक सहित कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात

- मोदी ने इजरायल में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई
- जी20 अध्यक्षता के दौरान गुटेरेस के सहयोग के लिए उनका आभार जताया

दुबई में शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा हमास के साथ संघर्षरत इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग की भेंट हुई। रायटर

दुबई, पीटः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को काप-28 जलवायु सम्मेलन के इतर कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की और कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। पीएम ने इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सात अक्तूबर को हुए आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई और बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति हर्जोग ने इजरायल-हमास संघर्ष पर विचारों का आदान-प्रदान किया। पीएम ने प्रभावित आबादी के लिए मानवीय सहायता के निरंतर और सुरक्षित वितरण की आवश्यकता की बात को दोहराया। पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए इजरायल-फलस्तीन मुद्दे के शीघ्र एवं टिकाऊ समाधान तथा द्विराष्ट्र समाधान के लिए भारत के समर्थन पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ऋषि सुनक के साथ शानदार बातचीत हुई। भारत-ब्रिटेन की मजबूत दोस्ती आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेगी। उन्होंने लिखा कि अपने मित्र, राष्ट्रपति लूला से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत-ब्राजील के बीच मजबूत मित्रता वैश्विक कल्याण के प्रयासों को बढ़ाएगा। इसके अलावा मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, बहरीन के शासक हमद बिन ईसा अल खलीफा और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात की। मोदी ने नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व तजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान से भी भेंट की। मोदी ने जार्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय और गुयाना के राष्ट्रपति डाक्टर मोहम्मद इरफान अली से भी बातचीत की।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से भी मिलेः पीएम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से मुलाकात की और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की पहलों व प्रगति पर प्रकाश डाला। मोदी ने भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान गुटेरस के सहयोग के लिए उनका आभार जताया। भारत की जी20 मेजबानी, जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की प्रगति, जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी व बहुपक्षीय संस्थानों के सुधारों से जुड़े वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर चर्चा हुई। गुटेरस ने पीएम की ग्रीन क्रेडिट पहल का स्वागत किया। गुटेरस ने भारत की जी20 अध्यक्षता की उपलब्धियों में प्रगति और उन्हें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2024 में आगे ले जाने के लिए भारत के साथ काम करने की पुष्टि की।

जीवाश्म ईंधन पर संरा प्रमुख, काप-28 अध्यक्ष में मतभेद

दुबई, रायटर : संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और काप-28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल-जबर जीवाश्म ईंधन के भविष्य पर आमने-सामने आ गए। गुटेरस ने जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से जीवाश्म ईंधन के बिना भविष्य की योजना बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई अन्य तरीका नहीं है। इससे एक दिन पहले अल-जबर ने जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग को अपनाने का प्रस्ताव दिया था। इस पर गुटेरस ने कहा, हम एक जलते हुए ग्रह को जीवाश्म ईंधन की आग के साथ नहीं बचा सकते। उन्होंने कहा, ग्लोबल वार्मिंग पर रोक तभी संभव है, जब हम सभी जीवाश्म ईंधन को जलाना बंद कर देंगे। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने नेताओं से वैश्विक जलवायु एजेंडे में प्रगति करने का अनुरोध किया।

जलवायु कार्रवाई घोषणापत्र पर 134 देशों ने किए हस्ताक्षर : आइएएनएस के अनुसार, ऐतिहासिक कृषि, खाद्य और जलवायु कार्रवाई घोषणापत्र पर 134 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के दौरान खाद्य सुरक्षा के लिए 250 करोड़ डालर से अधिक की धनराशि जुटाने और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर खाद्य प्रणालियों के नवाचार के लिए यूएई और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच साझेदारी की घोषणा की गई।

कौटिल्य अकादमी

सीबीएसई 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं में नहीं देगा डिवीजन और डिस्टिंक्शन

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले बड़ा बदलाव किया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अब डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं दिए जाएंगे। अगर छात्र पांच से अधिक पेपर देगा तो उसके सबसे अच्छे पांच विषय तय करने का अधिकार छात्र के संबंधित स्कूल या संस्थान को होगा।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे। सीबीएसइ अंक प्रतिशत की गणना नहीं करता, उसकी घोषणा या सूचना नहीं देता। यदि उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अंक प्रतिशत आवश्यक है तो गणना प्रवेश देने वाले संस्थान या नियोक्ता द्वारा की जा सकती है। बता दें, सीबीएसई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से मेरिट सूची जारी करने की प्रथा भी समाप्त कर चुका है। सीबीएसई पिछले कुछ साल से 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में टाप करने वाले छात्रों की लिस्ट जारी नहीं करता है। बोर्ड ने इसके पीछे का तर्क देते हुए कहा था कि ऐसा छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए किया गया है। अगले साल सीबीएसई परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से किया जाना है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होने वाली है, जो अप्रैल तक चलेंगी। हालांकि बोर्ड ने अब तक 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया है। सीबीएसई 10वीं, 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं एक जनवरी से शुरू होने वाली है।

रोजगार या उच्च शिक्षा के लिए अंक प्रतिशत की जरूरत होगी तो संस्थान या नियोक्ता द्वारा की जा सकती है गणना

वीरेन्द्र प्रसाद

2050 से पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म करें विकसित देश : मोदी

काप-28 ▶ ट्रांसफार्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस सत्र में पीएम ने की अपील

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को विकासशील और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद देने का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित देशों को 2050 से काफी पहले कार्बन उत्सर्जन खत्म कर देना चाहिए। काप-28 में 'ट्रांसफार्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस' पर एक सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि बहुपक्षीय विकास बैंकों को न केवल विकास के लिए बल्कि जलवायु कार्रवाई के लिए भी किफायती आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। भारत और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों ने जलवायु संकट में बहुत कम योगदान दिया है, लेकिन इससे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पीएम ने कहा, संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं।

2023 में सफलता से जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के बाद पीएम मोदी ने 2028 में काप-33 यानी जलवायु संरक्षण पर शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में कराने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव पीएम मोदी ने दुबई में काप-28 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर अपने विशेष संबोधन में रखा। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में होने वाली इस बैठक में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा होती है और सामूहिक फैसले होते हैं। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क को लेकर प्रतिबद्ध है।

इसके साथ ही मोदी ने काप-28 में ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव यानी पर्यावरण बचाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को प्रोत्साहन देने की पहल लांच की। यह पहल पर्यावरण मंत्रालय का है। इसके तहत जल संचय और वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें बेहतर काम करने वाली एजेंसियों, विभागों, संगठनों को ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा, जिसका वे कारोबार में एक निवेश प्रपत्र की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे।

काप-28 में 160 से ज्यादा देशों और दर्जनों वैश्विक एजेंसियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों की सरकारों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर न सिर्फ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, बल्कि इस मोर्चे पर देश की उपलब्धियों को भी गिनाया। कहा कि पूरी दुनिया आज हमें देख रही है। इस धरती का भविष्य हमें देख रहा है। हमें सफल होना ही होगा।

पीएम ने दो सदियों से प्रकृति का जम कर दोहन करने वाले विकसित देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया। लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। सिर्फ मेरा भला हो, यह सोच दुनिया को अंधेरे की तरफ ले जाएगी।

2028 में जलवायु संरक्षण सम्मेलन काप-33 भारत में कराने का प्रस्ताव

▶ ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लांच करने का पीएम ने किया एलान, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पहल का किया स्वागत

दुबई में शुक्रवार को काप-28 में 'ट्रांसफार्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस' पर सत्र के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एवं विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एएफपी

भारत ने पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतर संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। विश्व की 17 प्रतिशत आबादी होने के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ चार प्रतिशत है। उत्सर्जन घनत्व कम करने का लक्ष्य भारत ने 11 वर्ष पहले तय कर लिया है। पारंपरिक ईंधनों को कम करने का लक्ष्य नौ वर्ष पहले पूरा कर लिया है। हमारा लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन घनत्व को और 45 प्रतिशत घटाना है। भारत ने तय किया है कि अपारंपरिक ईंधनों की हिस्सेदारी बढ़ा कर 50 प्रतिशत की जाएगी। -नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जीवाश्म ईंधन पर संरा प्रमुख, काप-28 अध्यक्ष में मतभेद

दुबई: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और काप-28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल-जबर जीवाश्म ईंधन के भविष्य पर आमने-सामने आ गए। गुटेरस ने वैश्विक नेताओं से जीवाश्म ईंधन के बिना भविष्य की योजना बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं है। एक दिन पहले अल-जबर ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को अपनाने का प्रस्ताव दिया था। (पेज-3)

पीएम मोदी ने हर्जोग, सुनक सहित कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात

दुबई: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को जलवायु सम्मेलन से इतर कई नेताओं से भेंट की। पीएम ने इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की। वहीं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भेंट को मोदी ने शानदार बताया। मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भेंट की। (पेज-3)

कौशिक प्रेस एजेंसी

सर्वाधिक बांड भुनाए गए नई दिल्ली में

चुनावी चंदा

28वीं श्रृंखला में 1148.38 करोड़ के बांड बिके, विपक्षी गठबंधन का सूत्रधार रहा बिहार अगले कुछ दिनों में राजनीति के प्रमुख केंद्रों में से होगा एक, पटना में भुनाए गए 25 करोड़ रुपये के चुनावी बांड

राज्य ब्यूरो, पटना

विपक्षी गठबंधन का सूत्रधार रहा बिहार अगले कुछ दिनों में राजनीति के प्रमुख केंद्रों में से एक होगा। इसका संकेत पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी बांडों को भुनाने से मिल रहा है। बिहार में किसी तरह का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन अक्टूबर के पहले पखवारे में पटना में 25 करोड़ के चुनावी बांड भुनाए गए। सर्वाधिक 800.96 करोड़ के बांड नई दिल्ली में भुनाए गए।

सबसे ज्यादा बांड हैदराबाद में बिके : 28वीं श्रृंखला के ये चुनावी बांड चार से 13 अक्टूबर के बीच जारी हुए। नौ अक्टूबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी। नियमानुसार जिन तारीखों में बांड जारी होते हैं, उन्हीं तारीखों पर नए-पुराने बांड भुनाए भी जा सकते हैं।

चुनावी बांड भुनाने वाले पांच बड़े केंद्र (करोड़ में)

नई दिल्ली	800.96
कोलकाता	171.28
हैदराबाद	83.63
मुंबई	39
पटना	25

1 करोड़ से अधिक के बांड के खरीदार रहे 1095

5 शहरों में हुई खरीदी हैदराबाद पहले स्थान पर

इस बार 1148.38 करोड़ के चुनावी बांड की बिक्री हुई। इनमें सर्वाधिक 374 करोड़ के बांड तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बिके। यह बांडों की कुल बिक्री का 33 प्रतिशत हिस्सा है। हालांकि, बांडों को भुनाने के क्रम में हैदराबाद देश में तीसरे क्रमांक पर रहा और पटना पांचवें स्थान पर। अभी पटना की चर्चा में होने का यही कारण है। इससे आभास हो रहा कि आने वाले दिनों में यहां राजनीतिक गतिविधियां तेज होने वाली हैं।

चुनावी बांडों के संदर्भ में एक बात अति महत्वपूर्ण है। वह यह कि महंगे मूल्य के बांडों की अपेक्षाकृत अधिक मांग है। बैंक से जुड़े सूत्र बता रहे कि यह बांडों में कारपोरेट घरानों और बड़ी कंपनियों की अभिरुचि का परिणाम है। एक हजार, 10 हजार, एक लाख, 10 लाख और एक करोड़ की राशि में बांड जारी होते हैं।

दैनिक प्रवक्ता

बेलगाम होती रेवड़ी संस्कृति

ए. सूर्यप्रकाश

चूंकि राजनीतिक दलों में चुनावी रेवड़ियों को लेकर परस्पर होड़ है इसलिए केवल न्यायिक हस्तक्षेप से ही कोई उम्मीद बची है

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के एक्जिट पोल मिले-जुले संकेत ही दे रहे हैं। रविवार को नतीजे भी आ जाएंगे और तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। इन चुनावों के परिणाम चाहे जो रहें, लेकिन ये भारतीय राजनीति के इतिहास में रेवड़ियों की बारिश वाले चुनाव के रूप में याद रखे जाएंगे। किसी भी दल ने मुफ्तखोरी वाली योजनाओं की पेशकश करने में कोई संकोच नहीं किया। राजनीतिक दलों ने ये घोषणाएं करते हुए सरकारी खजाने की कोई चिंता भी नहीं की। इन चुनावों में चुनावी लोकलुभावनवाद एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया। मुफ्तखोरी वाली योजनाओं के देश की आर्थिकी पर गहरे दुष्प्रभाव होंगे। इसके बावजूद इस रुझान पर विराम लगाने का साहस राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे हैं। इस चलन पर कोई रोक लगाने के मामले में चुनाव आयोग के हाथ भी बंधे हुए हैं। ऐसे में आखिरी उम्मीद उच्चतम न्यायालय से है, जिसके समक्ष चुनावी रेवड़ियों को रोकने से जुड़ी दो याचिकाएं विचाराधीन हैं।

चुनावी रेवड़ियों को लेकर राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने काफी पहले ही सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया था। गहलोत ने चुनावों में भी मतदाताओं को सात गारंटियां दीं। इनमें गृहलक्ष्मी योजना के अंतर्गत परिवार की मुखिया महिला को सालाना 10,000 रुपये की राशि, एक करोड़ परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, सरकारी कालेजों के विद्यार्थियों को लैपटाप या टैबलेट, प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति में प्रति परिवार को 15 लाख रुपये का बीमा, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का दायरा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख करना। गहलोत के इस दांव की भाजपा ने अपने हिसाब से काट निकाली। भाजपा ने गरीब परिवार की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, छात्राओं को स्कूटी, 450 रुपये की रियायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर, किसानों को सालाना 12,000 रुपये की मदद, कालेज छात्रों को 1,200 रुपये मासिक का परिवहन भत्ता और दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन जैसे वादे किए।

मध्य प्रदेश में भाजपा दो दशकों से अधिक की अपनी सत्ता को लेकर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की ऊब से जूझ रही थी। इस स्थिति को बदलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपहारों की पोटली खोल दी। इस साल उन्होंने महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना आरंभ की। शुरुआत हर महीने एक हजार की राशि से हुई। जब कांग्रेस ने 1,500 रुपये मासिक की ऐसी ही योजना

अवधेश राजपूत

का वादा किया तो शिवराज सरकार ने 1,250 रुपये महीना देना शुरू कर दिया। शिवराज ने इसे 3,000 रुपये प्रति महीने तक ले जाने का वादा किया है। मतदाताओं को लुभाने की इन दोनों दलों की यह मुहिम किसी नीलामी प्रक्रिया जैसी बन गई। जब कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर का वादा किया तो शिवराज ने कहा कि वह 450 में ही सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। यहां कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त और उसके बाद की 100 यूनिट आधे दाम में देने के साथ ही छात्रों को मासिक भत्ते का वादा किया।

तेलंगाना का रुख करें तो राज्य पर तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ बताया जा रहा है। पिछले दस वर्षों के दौरान राज्य पर कर्ज 300 प्रतिशत बढ़ा है। इसके बावजूद मतदाताओं को लुभाने के लिए लोकलुभावन वादे किए गए। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने हर शादी में 'सरकारी शगुन' के तौर पर एक लाख रुपये देने का एलान किया। अलग-अलग समुदाय के हिसाब से इसका नाम भी 'कल्याण लक्ष्मी' और 'शादी मुबारक' रखा गया। इसके अतिरिक्त 15 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, बीड़ी बनाने वालों को 5,000 रुपये का मानदेय और गरीब घरों की महिलाओं को 3,000 रुपये के अतिरिक्त किसानों के लिए कर्जमाफी का वादा किया। बीआरएस को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कोर-कसर शेष नहीं रखी। उसने कर्नाटक की तर्ज पर यहां भी कुछ गारंटियां दीं। बीआरएस के 'सरकारी शगुन' की हवा निकालने के लिए कांग्रेस ने 'अल्पसंख्यक' समुदाय की दुल्हन को 1.60 लाख रुपये की राशि और हिंदू वधू को एक लाख रुपये की राशि के साथ ही एक तोला सोना देने का वादा किया। सरकारी शगुन में भी आखिर अंतर क्यों? असल में इसके माध्यम से भी समुदायों की सांस्कृतिक विविधताओं का लाभ उठाना है। मानो इतना ही काफी नहीं। कांग्रेस ने 18 साल से अधिक की छात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी, आटो रिक्शा चालकों को सालाना 12,000 रुपये, विधवाओं के लिए 6,000 रुपये मासिक की पेंशन और किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का भी वादा किया। भाजपा भी पीछे नहीं रही। उसने भी तमाम रेवड़ियों के साथ गरीब परिवारों को साल में चार सिलेंडर मुफ्त देने के साथ ही डीजल एवं पेट्रोल पर वैट घटाने का वादा किया।

रेवड़ियों के मामले में छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत संयम दिखा। यहां निवर्तमान सरकार ने युवाओं को 2,500 रुपये का मासिक भत्ता और लड़कियों को शादी के दौरान 25,000 से 50,000 रुपये के अनुदान का वादा किया। चुनावी राज्यों में मिजोरम ही इकलौता ऐसा रहा, जहां रेवड़ियों की कोई चर्चा नहीं थी। रेवड़ी संस्कृति की शुरुआत यूं तो तमिलनाडु से हुई, जहां द्रविड़ पार्टियों विशेषकर अन्नाद्रमुक ने मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रेशर कुकर से लेकर टेलीविजन सेट तक दिए। कालांतर में आम आदमी पार्टी ने इस रेवड़ी संस्कृति को नया आयाम देते हुए पहले दिल्ली और फिर पंजाब में सरकार बनाई, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस 'पांच गारंटियों' के जरिये इसे एक अलग ही स्तर पर ले गई। इस चुनावी विसंगति को आखिर कौन दूर करेगा? अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग केवल मूकदर्शक बनकर रह गया है। चूंकि राजनीतिक दलों में रेवड़ियों को लेकर परस्पर होड़ है इसलिए केवल न्यायिक हस्तक्षेप से ही कोई उम्मीद बची है। अदालत ने सवाल उठाया है कि वह इस इस मामले में क्या कर सकती है? उसे समय रहते हुए कोई सार्थक हस्तक्षेप करना होगा, अन्यथा कहीं स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर न हो जाए। तब लोकतंत्र महज एक मखौल बनकर रह जाएगा।

(लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी

रंजना मिश्रा

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस हादसे के पीछे का मुख्य कारण भूस्खलन था। भूस्खलन के कारण सुरंग की छत का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे मिट्टी और चट्टानें सुरंग के अंदर गिर गईं। इससे उसके अंदर फंसे श्रमिकों के लिए खतरा पैदा हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि इस हादसे के पीछे निर्माण में लापरवाही भी एक कारण हो सकती है। उनका कहना है कि सुरंग के निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। हालांकि इस हादसे की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति इस हादसे के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशें करने का काम करेगी।

दरअसल सुरंग के लिए चुने गए स्थान की भूगर्भीय स्थितियां सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यदि क्षेत्र में भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा है तो सुरंग को अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। सुरंग की लंबाई भी सुरक्षा को प्रभावित करती है। इसमें दुर्घटना होने की अधिक संभावना होती है। सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सुरंग परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने से पहले, क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। यह भूस्खलन या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को निर्धारित करने में मदद करता है। सुरंग के डिजाइन में सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिए। इन उपायों में जल निकासी प्रणालियां, समर्थन प्रणाली और सुरक्षा उपकरण शामिल हो सकते हैं। सुरंग परियोजनाओं में शामिल सभी लोगों को सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सुरंग के निर्माण और संचालन की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। इन उपायों को लागू करके, सुरंग परियोजनाओं की सुरक्षा में सुधार किया जा सकता है और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

सिलक्यारा सुरंग में हुई भूस्खलन की घटना से यह स्पष्ट होता है कि निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करना कितना जरूरी है

उत्तरकाशी हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। उत्तरकाशी में भारी बारिश होती है। इसके कारण टनल के ढहने और पानी भरने का खतरा रहता है। लिहाजा टनल में काम करने वाले सभी श्रमिकों को सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण में भूस्खलन, आग और अन्य संभावित खतरों के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए। श्रमिकों को उपयुक्त सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए, जिनमें हेलमेट, चश्मा, जूते और जैकेट शामिल हों। सिलक्यारा की घटना से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरकाशी में सुरंग निर्माण के दौरान सुरक्षा उपायों का पूरी तरह से पालन करना कितना जरूरी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

समय की मांग है भारतीय न्यायिक सेवा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हाल में न्यायिक सुधारों की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात कही है। संविधान दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की युवा-शक्ति को न्यायपालिका में उसी तरह के करियर का मौका मिलना चाहिए, जैसा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के मामलों में है। उन्होंने न्यायपालिका के विशेष स्थान को रेखांकित करते हुए कहा कि अपनी विविधता का सदुपयोग करते हुए हमें ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया से विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले न्यायाधीशों की भर्ती की जा सके।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए पहले भी सुझाव आते रहे हैं। विधि आयोग 1958 और 1978 में दो अलग-अलग संस्तुतियों के माध्यम से इसके लिए सुझाव दे चुका है। आयोग का मत था कि इससे अदालतों में लंबित मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण में आसानी होगी, न्यायिक-संरचना अधिक पारदर्शी तथा क्रमबद्ध हो जाएगी और उसके परिणामस्वरूप मुकदमों का तेजी से निपटारा होगा और आम लोगों का उन पर भरोसा बढ़ेगा। संसद की एक स्थायी समिति ने भी 2006 में इस विषय पर सुझाव दिया था। इसके अलावा इस समिति ने एक मसौदा भी तैयार किया था, किंतु वह आगे नहीं बढ़ पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मौकों पर इस संबंध में सुझाव और निर्देश दिए हैं। 1992 में आल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। फिर 1993 में इस पर जरूरी पहल की जिम्मेदारी सरकार के विवेक पर छोड़ दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायाधीशों के चयन के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था के निर्माण करने का सुझाव दिया, किंतु अब तक इस पर कुछ ठोस पहल नहीं की जा सकी है।

लोकशाही में उसके सभी उपांगों की विश्वसनीयता उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अदालतों के मामले में तो यह अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उनकी एकमात्र पूंजी होती है। जनता के

हरवंश दीक्षित

मुकदमों की बढ़ती संख्या का एक कारण यह भी है कि हमारे यहां न्यायाधीशों की बहुत कमी है

राष्ट्रपति ने दिया एक जरूरी सुझाव। प्रेट्र

बीच उनकी साख और आम लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान ही उनकी ताकत होती है। इसलिए उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सजग रहने की जरूरत होती है। लंबित मुकदमों का अंबार, उनके निस्तारण में देरी तथा पारदर्शिता से जुड़ी अपेक्षाएं न्यायपालिका की साख को सबसे अधिक प्रभावित कर रही हैं। पारदर्शिता के प्रति आग्रही समाज में गैर-जरूरी गोपनीयता कई बार अविश्वास के काल्पनिक कारणों तथा आधारों को तैयार करने की पृष्ठभूमि बनाती है। कलेजियम व्यवस्था की गोपनीयता के कारण उस पर प्रश्न उठने लगे हैं। ऐसे में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के पक्ष में पर्याप्त आधार दिखते हैं।

न्यायपालिका की अखिल भारतीय सेवा पूरे देश के लिए एक ऐसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें हमारे समाज के प्रतिभाशाली युवाओं को मौका मिलेगा। इसमें समाज के सभी वर्गों तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। चूंकि यह चयन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इसलिए इसमें सबसे अच्छे लोगों के चयन की एक परंपरा विकसित होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुकदमों की बढ़ती संख्या का एक कारण यह भी है कि हमारे यहां न्यायाधीशों की बहुत कमी है। अमेरिका में जहां हर 10 लाख की आबादी पर 107 न्यायाधीश हैं, वहीं अपने देश में अभी हम इतनी आबादी पर 21 न्यायाधीशों के पद ही सृजित कर पाए हैं। अलग-अलग राज्यों में उनके चयन की प्रक्रिया में अक्सर देरी होती रहती है, जिसके कारण कुल 25,246 स्वीकृत पदों के सापेक्ष केवल 19,858 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार मुकदमों के दायर होने की वर्तमान दर के मुताबिक 2040 में कुल 15 करोड़ मुकदमे लंबित होंगे, जिनके निस्तारण के लिए 75,000 न्यायाधीशों की जरूरत होगी। विभिन्न राज्य सरकारों की मौजूदा कार्यपद्धति को देखते हुए यह संभव नहीं लगता। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से इस चुनौती से निपटना आसान हो जाएगा।

संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में कहा गया है कि इसके द्वारा चयनित व्यक्ति जिला न्यायाधीशों के बराबर होगा। जिस तरह अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आबादी के अनुपात में पदों का सृजन होता है, उसी तरह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में होगा। आबादी तथा मुकदमों के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या हो जाने से मुकदमों का बोझ कम होगा।

इस समय न्यायपालिका में चयन के लिए दो पद्धतियां हैं। जिला अदालतों के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से चयन होता है। उच्च न्यायालयों के 25 प्रतिशत पद न्यायिक अधिकारियों की प्रोन्नति से, जबकि शेष पद अधिवक्तागण में से कलेजियम द्वारा भरे जाते हैं। जिला अदालतों के लिए लिखित परीक्षा के माध्यम से न्यायिक सेवा में आने वाले न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय तक पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बारे में तो उनके लिए कल्पना करना भी कठिन है। इन परिस्थितियों में उनके मन में वंचना-बोध पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि प्रतिभाशाली छात्रों का रुझान इस सेवा की ओर कम होता जा रहा है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रतिभावान न्यायाधीशों का ऐसा विकल्प होगा, जो इस संस्था की प्रतिष्ठा को नई उंचाई दे सकते हैं।

(लेखक विधि शास्त्र के प्राध्यापक हैं)

response@jagran.com

मंथन

लोक अदालतों की सफलता

लोक अदालतों को आम बोलचाल की भाषा में 'लोगों की अदालत' भी कहते हैं। एक ऐसा मंच है जहां अदालतों/आयोगों में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाता है

सुमन तिवारी
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर

लोक अदालत सस्ते, सुलभ और शीघ्र न्याय का एक सशक्त मंच है। हमारे देश में यह व्यवस्था कोई नई नहीं है। ''पंच परमेश्वर'' की न्याय-व्यवस्था इसी का रूप थी। जो लोग अदालती कार्यवाही का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं और जल्दी न्याय चाहते हैं, उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करके लोक अदालतें एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। लोक अदालत सुलह कराने की मंशा से शुरू की गई थी। यह मामलों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसे आम बोलचाल की भाषा में 'लोगों की अदालत' भी कहते हैं। एक ऐसा मंच है जहां अदालतों/आयोगों में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाता है। पहली बार 1982 में लोक अदालत गुजरात में शुरू की गई थी, लेकिन यह विवादों को निपटाने में इतनी सफल रही कि जल्द ही अन्य राज्यों में भी इसे अपनाया गया। मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने एवं कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न रहे इसी संदर्भ में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 संसद द्वारा अधिनियमित किय गया। इसके बाद विधिक सहायता और स्थायी लोक अदालतें अस्तित्व में आईं। राष्ट्रीय, राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन हुआ। आज पूरे देश में हर एक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथारिटी) का गठन किया गय है। यह स्टेट लीगल सर्विस अथारिटी द्वारा निर्धारित निर्देशों और नियमों का पालन करता है।

लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य नियमित अदालतों के कार्यभार को कम करना है। इन लोक अदालतों के कई लाभ हैं जैसे कि कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है। यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है। यहां मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है। सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है। साथ ही यह फैसला आखिरी और बाध्यकारी होता है। फैसले के खिलाफ कहीं अपील नहीं हो सकती है। यहां निर्णय इस प्रकार दिए जाते हैं कि दोनों पक्ष उसे खुशी-खुशी स्वीकार करें।

लोक अदालतों में ऐसे मामले जो नियमित अदालतों में लंबित हैं या ऐसे मामले जो अभी नियमित अदालतों तक नहीं पहुंचे हैं, दोनों लिए जाते हैं। मुख्यरूप से बैंक वसूली के मामले, पेंशन मामले, विवाह संबंधी विवाद, भूमि विवाद, बंटवारे या संपत्ति विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, आवास मामले, वित्त संबंधी मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, संपत्ति कर, ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण, आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं जल कर से संबंधित वाद आदि की सुनवाई लोक अदालतों में होती है।

राष्ट्रीय लोक अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जहां पर एक ही दिन में पूरे देश में उच्चतम न्यायालय से लेकर जिला न्यायालय स्तर तक लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं और बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जाता है। पिछले वर्ष 2022 में लोक अदालतों के माध्यम से चार करोड़ से अधिक वादों का निस्तारण किया गया था। वास्तव में लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को हल करने से न केवल मुकदमेबाजी का खर्च कम होता है, बल्कि यह पार्टियों और उनके गवाहों के बहुमूल्य समय की बचत भी करता है। कानूनी सहायता वास्तव में तभी सफल होगी जब यह उन सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे, विशेषकर उन लोगों तक जो आर्थिक रूप से वंचित हैं और अपने बुनियादी अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं हैं। लोक अदालतों ने भारत की न्याय प्रणाली में एक नया आयाम जोड़ा है, जिससे व्यक्तियों को अपने विवादों का संतोषजनक समाधान प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर मिलता है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत नौ दिसंबर को आयोजित की जा रही है। कोई भी व्यक्ति विवाद के निपटारे के लिए व्यक्तिगत रूप से जिला न्यायालय स्थित जिला विधि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से लोक अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र दे सकता है। इसमें विवाद के संबंध में आवश्यक विवरण देना होता है। पीड़ित का प्रतिनिधित्व उनके वकील द्वारा किया जा सकता है या वे सीधे लोक अदालत के विधिक विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर सकते हैं और विवाद में अपना पक्ष तथा उसके कारणों की व्याख्या कर सकते हैं, जो नियमित अदालतों में संभव नहीं हो पाता है। लोक अदालत में न तो कोई पक्ष जीतता है और न ही हारता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि-''लोक अदालत का सार, न किसी की जीत न किसी की हार।''

नियमित अदालतों का बोझ कम करती लोक अदालतें। फाइल

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

आजकल

बढ़े मतदान प्रतिशत से गड़बड़ाए एक्जिट पोल

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आए एक्जिट पोल मतदाताओं की नब्ज टटोलने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दरअसल इस बार पांच राज्यों में बढ़े मतदान प्रतिशत के चलते एक्जिट पोलों में भिन्नता एवं दुविधा दिखाई दे रही है। चूंकि सर्वे के नमूने का प्रतिशत बहुत कम होता है। गोया, इस आधार पर बड़े मतदाता समूह की मंशा की पड़ताल करना और व्यावहारिक नतीजे पर पहुंचना बहुत कठिन काम है। इसीलिए इस बार एक्जिट पोल के अनुमानों को 'जितने मुंह, उतनी बातें' कहा जा रहा है।

मतदाताओं के मन की थाह लेना आसान नहीं।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आए एक्जिट पोल तमाम राजनीतिक अनुमानों से जुदा नजर आ रहे हैं। एक्जिट पोलों में जो भिन्नता एवं दुविधा दिखाई दे रही है, उससे लगता है कि मतदाता की मंशा टटोलने में सर्वे एजेंसियाँ नाकाम रहीं। मध्य प्रदेश से जुड़े जो आठ सर्वे न्यूज चैनलों में प्रसारित हुए हैं, उनमें से सात भाजपा को और एक कांग्रेस को बहुमत दे रहे हैं। राजस्थान के आठ सर्वे में से पांच भाजपा और तीन कांग्रेस के पक्ष में हैं। छत्तीसगढ़ में सभी आठ सर्वे कांग्रेस को फिर से सत्ता में आते दिखा रहे हैं। तेलंगाना में छह सर्वे में से पांच सर्वे कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं। मिजोरम में त्रिशंकु सरकार बनती दिखाई दे रही है। साफ है, एक्जिट पोलों में इतना विरोधाभास है कि ये सर्वे भरोसे के नहीं लग रहे हैं। वैसे भी ये अनुमान संयोग से ही सटीक बैठते हैं।

ओपिनियन पोल मसलन जनमत सर्वेक्षण जहां मतदान पूर्व मतदाता की मंशा टटोलने की कोशिश है, वहीं एक्जिट पोल मतदान पश्चात मतदाता का निर्णय जानने की कोशिश है। ओपिनियन पोल शुल्क चुकाकर प्रायोजित ढंग से कराए जा सकते हैं। इनके प्रकाशित एवं प्रसारित होने के बाद मतदाताओं के रुख को प्रभावित किया जा सकता है। किंतु एक्जिट पोल मतदान पूरा होने के बाद वास्तविक परिणाम के पूर्व अनुमान हैं। इसलिए कोई राजनीतिक दल इन्हें अपनी इच्छानुसार कराने में रुचि नहीं लेता। मतदान के बढ़े प्रतिशत को सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ वोटरों की व्यक्तिगत असंतुष्टि और व्यापक असंतोष के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन हाल में मतदाताओं में आई जागरूकता ने इस परिदृश्य को बदला है। इसलिए इसे केवल नकारात्मकता की तराजू पर तौलना बड़ी भूल होगी। इसे सकारात्मक दृष्टि से देखने की भी जरूरत है। इस बार मतदान के बढ़े प्रतिशत के बावजूद कुछ लोग मतदाता को मौन कह रहे हैं, लेकिन मतदाता मौन नहीं होता है। मौन होता तो चैनल एक्जिट पोल के लिए कैसे सर्वे कर पाते? हां, उसने खुलकर राज्य सरकार को न तो अच्छा कहा और न ही उसके कामकाज के प्रति मुखरता से नाराजगी जताई। मतदाताओं की यह मानसिकता, उनके परिपक्व होने का पर्याय है। वे समझदार हो गए हैं। अपनी खुशी अथवा कटुता प्रकट करके वे किसी दल विशेष से बुराई मोल लेना नहीं चाहते।

पारंपरिक नजरिये से लोगों की मतदान में बढ़ी रुचि को सामान्यतः एंटी इनकंबेंसी का संकेत, मसलन मौजूदा सरकार के विपरीत चली लहर माना जाता है। इसे साबित करने के लिए वर्ष 1971, 1977 और 1980 के आम चुनाव में हुए ज्यादा मतदान के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन यह धारणा पिछले कुछ चुनावों में बदली है। वर्ष 2018 को छोड़ वर्ष 2013, 2008 और 2003 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में बढ़े मतदान प्रतिशत का लाभ सत्तारूढ़ होते हुए भी भाजपा को मिलता रहा। 2010 के चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़कर 52 हो गया था, लेकिन नीतीश कुमार की ही वापसी हुई। जबकि बंगाल चुनाव में मतदान ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 84 प्रतिशत हुआ और मतदाताओं ने 34 साल पुरानी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी की बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को परास्त कर, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई थी। चुनाव विश्लेषकों और राजनीतिक दलों को अब किसी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। मतदाता पारंपरिक जड़ता और प्रचलित समीकरणों तोड़ने पर आमादा हैं।

बढ़े मत प्रतिशत का सबसे अहम, सुखद एवं सकारात्मक पहलू है कि यह अनिवार्य मतदान की जरूरत की पूर्ति कर रहा है। हालांकि फिलहाल हमारे देश में अनिवार्य मतदान की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। निकट भविष्य में इसकी संभावना भी नहीं है। ज्यादा मतदान की जो एक बड़ी खूबी है, वह यह है कि अब अल्पसंख्यक एवं जातीय समूहों को वोट बैंक की लाचारगी से छुटकारा मिल रहा है। इससे कालांतर में राजनीतिक दलों को भी तुष्टीकरण की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब चुनावों में मतदान प्रतिशत 75 से 85 प्रतिशत होने लग जाएगा तो किसी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र विशेष से जुड़े मतदाताओं की अहमियत खत्म हो जाएगी। नतीजतन उनका संख्याबल जीत या हार की गारंटी नहीं रह जाएगा। लिहाजा सांप्रदायिक एवं जातीय आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नगण्य हो जाएगी। यह स्थिति मतदाता को धन एवं शराब के लालच से मुक्त कर देगी। क्योंकि कोई प्रत्याशी छोटे मतदाता समूहों को तो लालच का चुग्गा डालकर बरगला सकता है, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से बड़े समूहों को लुभाना मुश्किल होगा। जाहिर है, ऐसे हालात भविष्य में निर्मित होते हैं तो भारतीय राजनीति संविधान के उस सिद्धांत का पालन करने को मजबूर होगी, जो सामाजिक न्याय और समान अवसर की वकालत करता है। इस बार पांच राज्यों में बढ़ा मतदान प्रतिशत ही ऐसा प्रमुख कारण है, जिसके चलते एक्जिट पोल एकतरफा नहीं रह गए हैं। क्योंकि इसके सर्वे के नमूने का प्रतिशत बहुत कम होता है। गोया, इस आधार पर बड़े मतदाता समूह की मंशा की पड़ताल करना और व्यावहारिक नतीजे पर पहुंचना बहुत कठिन काम है। वैसे भी अब कई सर्वे एजेंसियां क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव रखने वालों से फोन पर बात करके नतीजों का अनुमान लगाने का तरीका अपना रही हैं। जो सर्वे की वैज्ञानिक प्रणाली के विरुद्ध है। दरअसल ये लोग किसी न किसी दल या प्रत्याशी से प्रभावित रहते हैं और उसी प्रभाव के चलते वे अपनी राय व्यक्त कर देते हैं, जो तटस्थ नहीं होती। इसीलिए इस बार एक्जिट पोल के अनुमानों को 'जितने मुंह, उतनी बातें' कहा जा रहा है।

मतदाताओं के रुझान का अनुमान

योगेश कुमार गोयल
वरिष्ठ पत्रकार

भारत में अधिकांश टीवी चैनलों पर चुनाव पूर्व सर्वे वर्ष 1998 में प्रसारित किए गए और तब ये बहुत लोकप्रिय भी हुए, किंतु कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग पर 1999 में चुनाव आयोग द्वारा ओपिनियन पोल तथा एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद एक अखबार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठी और मांग के जोर पकड़ने पर तब चुनाव आयोग ने प्रतिबंध के संदर्भ में कानून में संशोधन के लिए तुरंत एक अध्यादेश लाए जाने के लिए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करते हुए सुनिश्चित किया गया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब तक अंतिम वोट नहीं पड़ जाता, तब तक किसी भी रूप में एक्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि एग्जिट पोल मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दिखाए जाते हैं।

मतदान खत्म होने के कम से कम आधे घंटे बाद तक एक्जिट पोल का प्रसारण नहीं किया जा सकता। इनका प्रसारण तभी हो सकता है, जब चुनावों की अंतिम दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी हो। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि आखिर एक्जिट पोल के प्रसारण-प्रकाशन की अनुमति मतदान प्रक्रिया के समापन के पश्चात ही क्यों दी जाती है? जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126ए के तहत मतदान के दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, जो मतदाताओं के मनोविज्ञान पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डाले अथवा मत देने के उनके फैसले को प्रभावित करे। यही कारण है कि मतदान से पहले या मतदान प्रक्रिया के दौरान एक्जिट पोल सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, बल्कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के आधे घंटे बाद ही इनका प्रकाशन या प्रसारण किया जा सकता है। यह नियम तोड़ने पर दो वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। यदि कोई चुनाव कई चरणों में भी संपन्न होता है तो एक्जिट पोल का प्रसारण अंतिम चरण के मतदान के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले प्रत्येक चरण के मतदान के दिन डाटा एकत्रित किया जाता है।

एक्जिट पोल से पहले चुनावी सर्वे किए जाते हैं और सर्वे में बहुत से मतदान क्षेत्रों में मतदान करके निकले मतदाताओं से बातचीत कर विभिन्न राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों की हार-जीत का आकलन किया जाता है। अधिकांश मीडिया संस्थान कुछ प्रोफेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर एक्जिट पोल करते हैं। ये एजेंसियां मतदान के तुरंत बाद मतदाताओं से यह जानने का प्रयास करती हैं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किसके लिए किया। उन्हीं आंकड़ों के गुणा-भाग के आधार पर हार-जीत का अनुमान लगाया जाता है। इस आधार पर किए गए सर्वेक्षण से जो व्यापक नतीजे निकाले जाते हैं, उसे ही एक्जिट पोल कहा जाता है। चूंकि इस प्रकार के सर्वे मतदाताओं की एक निश्चित संख्या तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए एक्जिट पोल के अनुमान हमेशा सही साबित नहीं होते। एक्जिट पोल वास्तव में कुछ और नहीं, बल्कि वोटर का केवल रुझान होता है, जिसके जरिये अनुमान लगाया जाता है कि नतीजों का झुकाव किस ओर हो सकता है। एक्जिट पोल के दावों को ज्यादा वैज्ञानिक इसलिए भी नहीं माना जाता, क्योंकि ये कुछ हजार लोगों से बातचीत करके उसी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। वास्तव में ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े होते हैं और कोई जरूरी नहीं कि मतदाता ने सर्वे करने वालों को अपने मन की सही बात ही बताई हो। यही कारण है कि एक्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं।

नवंबर में 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा जीएसटी संग्रह

पिछले वर्ष के मुकाबले 15 प्रतिशत की वृद्धि, आर्थिकी में तेजी से मिल रहा समर्थन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: जीएसटी संग्रह में मजबूती का सिलसिला बरकरार है। इस साल नवंबर में जीएसटी संग्रह 1,67,929 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के आठ महीनों में (अप्रैल-नवंबर) में छह बार जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ से अधिक रहा। इस साल अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.72 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपये का रिकार्ड जीएसटी संग्रह किया गया था।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-नवंबर में 13,32,440 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह रहा जो पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.9 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल-नवंबर में 11,90,920 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया गया था। मंत्रालय के आंकड़ो के मुताबिक नवंबर के जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी के मद में 30,420 करोड़ रुपये वसूले गए। वहीं, एसजीएसटी के मद में 38,226 करोड़ तो आइजीएसटी के मद में 87,009 करोड़ रुपये वसूले गए। इस अवधि में सेस के रूप में 12,274 करोड़ रुपये मिले हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी से जीएसटी संग्रह को भी समर्थन मिल रहा है क्योंकि मांग निकलने से ही वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है और जीएसटी की वसूली वस्तुओं की बिक्री पर ही की जाती है।

1.72 लाख करोड़ रुपये था कर संग्रह अक्टूबर में **1.87** लाख करोड़ का रिकार्ड संग्रह था अप्रैल में

आठ महीनों में कर संग्रह की स्थिति राशि (करोड़ रुपये में)

2.538 अरब डालर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार

मुंबई, प्रेट्र: बीते सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.538 अरब डालर की वृद्धि रही है। आरबीआइ के अनुसार, 24 नवंबर को समाप्त सप्ताह में कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 597.935 अरब डालर हो गया है।

मैन्यूफैक्चरिंग में तेजी बरकरार

नवंबर में मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआइ) बढ़ोतरी के साथ 56 रहा जो मैन्यूफैक्चरिंग में तेजी को दर्शाता है। अक्टूबर में मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआइ 55.5 था। पीएमआइ के 50 से अधिक होने पर उसे सकारात्मक माना जाता है और इसका मतलब होता है कि मैन्यूफैक्चरिंग में विस्तार हो रहा है। एसएंडपी की तरफ से जारी पीएमआइ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियां घरेलू और विदेशी दोनों ही स्तर पर कारोबार हासिल करने में सफल दिख रही हैं, जिससे मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग का प्रदर्शन नवंबर में भी मजबूत रहा। मैन्यूफैक्चरिंग में मजबूती से रोजगार को भी समर्थन मिलता है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में मैन्यूफैक्चरिंग में 13.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

21 रुपये महंगा हुआ वाणिज्यिक सिलेंडर

नई दिल्ली, प्रेट्र: विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में शुक्रवार को 4.6 प्रतिशत की कटौती की गई। वहीं वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) का दाम 21 रुपये बढ़ाया गया है। हालांकि, घरेलू इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) का दाम 903 रुपये पर कायम रखा गया है। एटीएफ की कीमत में 5,189.25 रुपये या 4.6 प्रतिशत की कटौती की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ का दाम 1,06,155.67 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है, जो पहले 1,11,344.92 रुपये प्रति किलोलीटर था। वहीं दामों में बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 1,796.50 रुपये और मुंबई में 1,749 रुपये हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 21वें महीने स्थिर बनी हुई हैं।

डीजल बिक्री में 7.5 प्रतिशत की गिरावट: दिवाली पर ट्रक चालकों के अवकाश से नवंबर में डीजल की खपत एक साल पहले के 73.3 लाख टन से 7.5 प्रतिशत घटकर 67.8 लाख टन रह गई। डीजल भारत में सबसे अधिक खपत वाला ईंधन है। वहीं पेट्रोल बिक्री 7.5 प्रतिशत बढ़कर 28.6 लाख टन हो गई। नवंबर में एटीएफ की बिक्री सालाना आधार पर 6.1 प्रतिशत बढ़कर 6,20,000 टन हो गई। नवंबर में रसोई गैस की बिक्री सालाना आधार पर 0.9 प्रतिशत घटकर 25.7 लाख टन रही। त्योहारों और आर्थिक गतिविधियां में वृद्धि से बिजली खपत नवंबर में लगभग 8.5 प्रतिशत बढ़कर 119.64 अरब यूनिट रही।

सूक्ष्मजीवों से भी बन सकेगा बायो हाइड्रोजन

नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विज्ञानियों ने विकसित की नई तकनीक

जैव अपशिष्ट से बायो हाइड्रोजन उत्पादन लगभग सैद्धांतिक उपज के करीब

मृत्युंजय मिश्रा, प्रयागराज

खाद्य-डेयरी उद्योगों से भारी मात्रा में निकलने वाले जैविक कचरे का निस्तारण एक बड़ी चुनौती है। अब इन कचरे से भारी मात्रा में बायो (जैव) हाइड्रोजन का उत्पादन हो सकेगा, इससे उर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआइटी) के विज्ञानियों ने जैविक कचरे और सूक्ष्मजीवों की मदद से जैव-हाइड्रोजन तैयार करने की तकनीक विकसित की है। यह अलग-अलग पीएच मान वाले जैविक कचरे से हाइड्रोजन बनाने में अत्यंत प्रभावी पाई गई है। वैज्ञानिक जगत में इस तकनीक की उत्कृष्टता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि जैविक कचरे से जैव-हाइड्रोजन उत्पादन सैद्धांतिक उपज चार मोल के लगभग करीब 3.85 मोल प्राप्त किया गया है। नवंबर में इस तकनीक को पेटेंट भी मिल गया है। यह शोध एल्सेवियर पब्लिकेशन के अंतरराष्ट्रीय जर्नल फ्यूल में प्रकाशित हुआ है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

उद्योगों से निकलने वाले जैविक कचरे से बनाई जा सकेगी भारी मात्रा में हाइड्रोजन, मिला पेटेंट

बायो फ्यूल। फाइल

अत्यधिक उपयोग के कारण दुनिया के तेल और प्राकृतिक गैस भंडारों की तेजी से कमी आ रही है। शोधकर्ता व एमएनएनआइटी में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की प्रो. अंजना पांडेय के अनुसार, उच्च दहन ऊर्जा के कारण दुनिया में हाइड्रोजन की मांग बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा उद्देश्यों के लिए भविष्य में जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ेगा। शुद्ध हाइड्रोजन बनाना एक जटिल प्रक्रिया है पर यह तकनीक हाइड्रोजन उत्पादन को आसान बना देगी। प्रो अंजना ने बताया कि चावल का मांड, फल के छिलके, मक्का के अपशिष्ट, गेंहू और धान की बाली सब जैविक कचरा है। इस जैविक कचरे से हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए फर्मेंटिटिव (रात दिन दोनों में) और फोटो फर्मेंटिटिव (केवल सूर्य की रोशनी में उत्पादन करने वाले) बैक्टीरिया की मदद ली गई। हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता की तुलना में पाया गया सूर्य की रोशनी में उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की सब्सट्रेट कनर्वजन इफिशिएंसी यानी कचरे से हाइड्रोजन रूपांतरण क्षमता फर्मेंटिटिव बैक्टीरिया से अधिक है। यह तकनीक शैवाल की मदद से भी हाइड्रोजन तैयार करने में सक्षम है।

अम्लीय और क्षारीय पीएच पर बनाएगा हाइड्रोजन

डा. अंजना पांडेय के अनुसार उद्योगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इसमें फोटो फर्मेंटेटिव और फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया का मिक्स (बैक्टीरियल कंसोर्सिया) तैयार किया गया है। जो अलग-अलग पीएच के अनुसार उपयोग में लाई जा सकती है। एक कंसोर्सिया अम्लीय पीएच और दूसरा क्षारीय पीएच वाले कचरे के लिए बनाया गया है।

अंजना पांडेय। फाइल

तकनीक विकास की प्रक्रिया में पहली बार एक रोबस्ट यानी जीवट फूड ग्रेड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस की एक प्रजाति का प्रयोग किया गया है जो जैविक कचरे से हाइड्रोजन तैयार करने में काफी प्रभावी पाया गया है। हर पीएच मान के अनुसार कंसोर्सिया चुनाव करते हुए व्यापक स्तर पर बायो हाइड्रोजन का उत्पादन हो सकेगा, जो निकट भविष्य में हरित उर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इसका उपयोग कारों, घरों और पोर्टेबल बिजली के रूप में किया जा सकेगा।

'तिब्बत विवाद सुलझाने को दलाई लामा के दूतों से चीन की बातचीत जरूरी'

- अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने बातचीत को प्रेरित करने वाले विधेयक को दी मंजूरी
- अमेरिका को चीन का यह दावा स्वीकार नहीं कि तिब्बत प्राचीन काल से उसका भाग

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिकी कांग्रेस की एक शक्तिशाली कमेटी ने चीन-तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें चीन को दलाई लामा के दूतों से बातचीत करने को प्रेरित करने के अमेरिकी प्रयासों को मजबूत करने की बात कही गई है। इसके साथ ही तिब्बत के इतिहास को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगंडा की भी आलोचना की गई है। जिसमें वह दावा करता है तिब्बत पर कब्जा करने से पहले ही वह चीन का हिस्सा था।

सदन की विदेश मामलों की कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककौल ने कहा कि इस विधेयक में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और तिब्बत के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत की जरूरत बताई गई है। कहा, तिब्बती लोकतंत्र को प्यार करने वाले लोग हैं। वे चाहते हैं अमेरिकी की तरह ही उन्हें भी अपने धर्म और विश्वास को मानने की स्वतंत्रता हो। इस संशोधित विधेयक को पिछले साल प्रतिनिधि सभा के सदस्य जिम मैकगवर्न और माइकल मैककौल के साथ ही सीनेटर जेफ मार्ककले और टाड यंग ने पेश किया था। जिसमें 2010 से रुकी हुई वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए चीन सरकार पर दबाव डालने का समर्थन किया गया है।

विदेश मामलों की कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककौल। एक्स

उल्लेखनीय है कि चीनी सेना ने अक्टूबर,1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को तिब्बत छोड़ भारत में शरण लेनी पड़ी। मैककौल ने कहा कि अमेरिका ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का भाग रहा है। कहा, यह विधेयक अमेरिका की नीति को स्पष्ट करता है कि वह तिब्बतियों की विशिष्ट भाषा, धर्म और संस्कृति का समर्थन करता है। वहीं, चीन कहता है कि 88 वर्षीय दलाई लामा के धार्मिक नेता के अलावा कोई मायने नहीं है। वह लंबे समय से चीन विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं।

सड़क हादसों का दंश झेलती स्त्रियां

मोनिका शर्मा

विश्व बैंक की एक रपट के मुताबिक, यह सच है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों के कारण निम्नवर्गीय भारतीय परिवारों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है, पर महिलाओं के मामले में यह स्थिति अधिक गंभीर होती है। यह रपट कहती है कि सड़क दुर्घटना के बाद पचास फीसद महिलाएं पारिवारिक आमदनी घटने से बुरी तरह प्रभावित हुईं। असल में आयवर्ग चाहे जो हो, सड़क दुर्घटनाओं का सबसे अधिक दंश महिलाओं को ही झेलना पड़ता है।

सड़क दुर्घटनाएं नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर भी दुष्प्रभाव डालती हैं। सड़क हादसों का असर महिलाओं के लिए अधिक दुखदायी होता है। अनगिनत बदलावों के बावजूद सामाजिक-पारिवारिक मानसिकता का न बदलना और आर्थिक निर्भरता जैसे कारक स्त्रियों के लिए इन दुखद हालात को और तकलीफदेह बना देते हैं। वित्तीय मुआवजे के लिए कानूनी परामर्श और घायल होने पर देखभाल तक, इस मामले में भी महिलाएं कई तरह की उलझनों से जूझती हैं।

सड़क हादसे न केवल स्वास्थ्य, जनकल्याण और आर्थिक वृद्धि को गहराई से प्रभावित करते हैं, बल्कि नागरिकों का अनमोल जीवन तक छीन लेते हैं। घर के एक सदस्य की मौत पूरे परिवार को प्रभावित करती है। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण दुनिया के अधिकांश देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का करीब तीन फीसद खर्च करना पड़ता है। विश्व बैंक के अनुसार सड़क दुर्घटना के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हर वर्ष अपने सकल घरेलू उत्पाद के करीब तीन फीसद की हानि उठानी पड़ती है। समझना मुश्किल नहीं कि इन हादसों का हमारे सामाजिक-पारिवारिक और आर्थिक जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता होगा।

आंकड़ों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर पच्चीस वर्ष से कम आयु वर्ग में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के सड़क दुर्घटना में मारे जाने की संभावना 2.7 गुना ज्यादा होती है। सामाजिक परिवेश की भिन्नता के चलते भारत में यह अंतर और ज्यादा है। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले युवा लड़कों की संख्या युवा लड़कियों की तुलना में 6.2 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े शोध यह भी स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा यात्राएं करते हैं, नतीजतन उनके गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार होने की संभावना भी ज्यादा होती है। हालांकि हमारा परिवेश ही कुछ ऐसा है कि पुरुषों के साथ होने वाले हादसों का असर भी महिलाओं के हिस्से आता है। मां, बहन, पत्नी या बेटी होने के नाते सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव उनके जीवन की भी दिशा और दशा बदल देता है। गौरतलब है कि पुरुषों के साथ होने वाले सड़क हादसे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसके चलते सहजता से चल रहे उनके जीवन में अचानक कभी न खत्म होने वाली मुश्किलें जगह बना लेती हैं।

सड़क हादसों का स्त्रियों और पुरुषों पर अलग-अलग तरह से असर पड़ता है। इसमें न केवल महिलाओं की जान जाने की आशंका अधिक होती है, बल्कि घायल होने पर उनको उपचार और समुचित देखभाल मिलना भी मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, स्त्रियों के पास न केवल आय के स्थायी साधनों का अभाव होता है, बल्कि दुर्घटना संबंधी स्वास्थ्य बीमा आदि की सुविधा भी कम ही महिलाओं के पास होती है। बहुत सारी महिलाओं को अपाहिज होने या इलाज लंबा चलने की स्थिति में परिवार का भी सहज साथ नहीं मिल पाता। कई बार तो ऐसी दुर्घटनाओं का दोषारोपण करते हुए उनके अपने ही उन्हें उलाहना देने से नहीं चूकते। सड़क दुर्घटनाओं से जोड़कर देखे जाने वाले अपशकुन और अंधविश्वास आज भी महिलाओं के लिए दंश बने हुए हैं। वहीं बिगड़ती आर्थिक स्थिति का खमियाजा तो उनके हिस्से आता ही है।

विश्व बैंक की एक रपट के मुताबिक, यह सच है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और चोटों के कारण निम्नवर्गीय भारतीय परिवारों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है, पर महिलाओं के मामले में यह स्थिति अधिक गंभीर होती है। विश्व बैंक की रपट 'ट्रैफिक क्रैश इंजुरीज एंड डिसएबिलिटी- द बर्डन आन इंडियन सोसाइटी' के अनुसार ग्रामीण और शहरी महिलाओं पर भी सड़क हादसों का अलग-अलग असर पड़ता है। यह रपट कहती है कि सड़क दुर्घटना के बाद पचास फीसद महिलाएं पारिवारिक आमदनी घटने से बुरी तरह प्रभावित हुईं। असल में आयवर्ग चाहे जो हो, सड़क दुर्घटनाओं का सबसे अधिक दंश महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। इसमें घरेलू जिम्मेदारियों के साथ ही कामकाजी जीवन का अतिरिक्त भार भी समाहित है। विशेषकर किसी हादसे के बाद देखभाल का दायित्व स्त्रियों के हिस्से ही आता है।

बावजूद इसके, जीवन छीनने और परिवार उजाड़ने वाले इन हादसों के आंकड़े दुनिया के हर हिस्से में बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और अपंगता की वैश्विक संख्या को आधा करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ताजा रपट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं। इन हादसों में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1,68,491 और घायल होने वाले लोगों की संख्या 4,43,366 थी। चिंताजनक है कि बीते वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में 11.9 फीसद की वृद्धि हुई है। इनमें जान गंवाने वालों में 9.4 फीसद और घायलों में 15.3 फीसद का इजाफा हुआ है।

रपट में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों के पीछे सबसे बड़ी वजह तय सीमा से तेज गति, लापरवाही से या नशे में वाहन चलाना, दुपहिया वाहन चालकों का हेलमेट न पहनना और यातायात नियमों की अनदेखी सबसे अहम कारण रहे हैं। आमतौर पर स्त्रियां वाहन चलाते हुए नियमों की अनदेखी कम ही करती हैं, पर पुरुषों द्वारा की गई गलतियों का खमियाजा उन्हें भी उठाना पड़ता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रपट 'रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022' के अनुसार दुर्घटनाओं में हुई मौतों में 18-45 के बीच आयु वर्ग के लोग 66.5 फीसद हैं। यानी सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा युवा शिकार हुए हैं। इस आयुवर्ग के लोग न केवल देश के कामकाजी वर्ग का अहम हिस्सा होते हैं, बल्कि परिवार के लिए अर्थोपार्जन करने वाले सदस्य भी। ऐसे में घर के पुरुष सदस्य के साथ हुई सड़क दुर्घटना से उपजे हालात में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का संघर्ष, शारीरिक-मानसिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी होता है। नए सिरे से जीवन से जूझने की इन स्थितियों में आर्थिक और मनोवैज्ञानिक टूटन के हालात कई बार आत्महत्या के मुहाने तक ले जाते हैं।

जान गंवाने वाले घर के सदस्य की लापरवाही पीछे छूटे लोगों का जीवन सदा के लिए बदल देती है। कई बार तो परिजनों का साथ और सहयोग भी नहीं मिलता। बच्चों की परवरिश और भविष्य से जुड़ी चिंताएं महिलाओं के दिलो-दिमाग को घेर लेती हैं। जिन महिलाओं के पास पहले से कामकाजी अनुभव नहीं होता, वे घर में मरीज की देखभाल का बोझ और बाहर शोषण की स्थितियां झेलने को विवश हो जाती हैं। कामकाजी दुनिया में मौजूद असमानता के हालात में कम शिक्षित या घर की चारदीवारी तक सिमटी महिलाओं को काम मिलने में मुश्किलें आती हैं। एक ओर दुर्घटना में घायल पुरुष सदस्य के इलाज का नया खर्च जुड़ जाता है, दूसरी ओर कमाई के रास्ते बंद हो जाते हैं। इन स्थितियों में घर की स्त्रियों के लिए सम्मान और सुरक्षा के मोर्चे पर भी चिंताएं बढ़ जाती हैं, जिसके चलते परिवार अचानक गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है। ऐसे हालात महिलाओं को ही सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं।

जानकारी

बैंकिग प्रणाली में 97 .26 फीसद वापस आए : रिजर्व बैंक

2,000 के 9,760 करोड़ रुपए मूल्य के नोट बाकी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 रुपए के करीब 97.26 फीसद नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं, जबकि ऐसे 9,760 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी जनता के पास मौजूद हैं।

आरबीआइ ने 19 मई को 2,000 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।

रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, '19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर चलन में रहे 2,000 रुपए के नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। 30 नवंबर 2023 को यह घटकर 9,760 करोड़ रुपए रह गया।' आरबीआइ के मुताबिक, इस तरह 19 मई, 2023 तक चलन में रहे 2,000 रुपए के कुल नोट में से 97.26 फीसद से अधिक अब वापस आ चुके हैं। बयान में कहा गया, '2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।'

लोग देश भर में आरबीआइ के 19 कार्यालयों में 2,000 रुपए के बैंक नोट जमा करा सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं। लोग अपने 2,000 रुपए के नोट सीधे अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए उन्हें बीमाकृत डाक के जरिए रिजर्व बैंक के निर्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज सकते हैं। इन नोट को बदलने या बैंक खातों में जमा कराने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी। बाद में यह समयसीमा सात अक्तूबर तक बढ़ा दी गई।

बैंक शाखाओं में जमा और विनिमय दोनों सेवाएं सात अक्तूबर को बंद कर दी गई थीं। इसके बाद आठ अक्तूबर से लोगों को आरबीआइ के 19 कार्यालयों में मुद्रा का आदान-प्रदान करने या उनके बैंक खातों में समतुल्य राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया था।

इस बीच 2,000 रुपए के नोट को बदलने/जमा करने के लिए आरबीआइ कार्यालयों में कामकाजी घंटों के दौरान कतारें देखी जा रही हैं। आरबीआइ के यह 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं।